FORM NO -III

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट **मुकाम** नागौर

प्रार्थी

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर. पी.एम. रोड़, फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

बनाम

अप्रार्थीगण

गौतम पनचारिया, निवासी–पट्टा नम्बर 19, गांव घोड़ारण, ग्राम पंचायत ऊंटवालिया, ठाकुर जी मन्दिर के पास, तहसील व जिला नागौर, (राजस्थान) 341001 एवं निवासी–कोट गेट के अन्दर, ट्राफिक पांईन्ट, बीकानेर, (राजस्थान) 334001 एवं कार्यालय कोट गेट के अन्दर, ट्राफिक पांईन्ट, बीकानेर, (राजस्थान) 334001

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या** ..61 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.10.19	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 15 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हि प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थी गौतम पनचारिया (ऋणी/ बंधककर्ता) को प्रार्थी पक्ष की ओर से वितीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिये गये मांग नोटिस दिनांक 18.02.2019 की एडी रसीद पेश नहीं की गई। अप्रार्थी को उक्त धारा 13(2) का नोटिस डिलिवर के संबंध में इडिंया पोस्ट वेवसाईसट से दिनांक 07.06.2019 को निकाली गई ट्रेक कन्साईन्मेट (तीन) रिपोर्टे पेश की है, उक्त रिपोर्टों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी को नोटिस डिलिवर नहीं हुआ है। अप्रार्थी को नोटिस डिलीवर होने का प्रमाण–पत्र भी पेश नहीं हुआ है। अप्रार्थी के नोटिस दिनांक 18.02.19 का नियमान्तर्गत अखबार में प्रकाशन भी नहीं करवाया गया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 मांग सूचना के बारे में स्पष्ट किया गया कि "(1) धारा 13 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट मांग नोटिस की तामील उस स्थान पर, जहां उधारा लेने वाला या उधार लेने वाले की ओर से नोटिस या दस्तावेज स्वीकार करने के लिए सशक्त उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रुप से काम करता है, उधार लेने वाले को या तामिल स्वीकार करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, या कूरियर द्वारा दस्तावेजों के परेषण के किसी अन्य साधक जैसे फैक्स संदेश या इलेक्ट्रानिकी डाक सेवा द्वारा परीगत करके या परेक्षित करके की जायेगी परन्तु जहां अधिकृत अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि उधार लेने वाला या उसका अभिकर्ता नोटिस नोटिस की तामिली से बच रहा है या किसी अन्य कारण से यथापूर्वक तामिल नहीं की जा सकती है तो तामिल उस मकान या भवन के जिसमें उधार लेने वाला या उसका अभिकर्ता निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रुप से काम करता है, बाहर के दरवाजे पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर नोटिस की प्रति चिपका कर और मांग नोटिस की अन्तर्वस्तुए दो समाचारपत्रों में, एक देशी भाषा में, जिसका उस परिक्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, प्रकाशित कर के की जाएगी। (2) जहां उधार लेने वाला निगमित निकाय है, वहां मांग नोटिस की तामिल उपनियम 1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट साधनों द्वारा निगमित निकाय के रजिस्ट्रकृत कार्यालय पर उसकी शाखाओं में से किसी एक पर की जाएगी। (3) प्राधीकृत अधिकारी द्वारा उधार लेने वाले पर या उसके अधिकर्ता पर तामिल की जाने वाली किसी अन्य लिखित सूचना की तामिल उसी रीति में की जाएगी जो इस नियम में यथाउबंधिंत है। (4) जहां एक उधार लेने वाले से अधिक है वहां मांग नोटिस की तामिल प्रत्येक उधार लेने वाले पर कि जाएगी।" अतः प्रार्थीपक्ष द्वारा नोटिस तामीली कार्यवाही विधि पूर्वक नहीं कराने से अधिनियम की धारा 14 के तहत किसी प्रकार का अनुतोष देना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested